

HEAT WAVE PLAN 2025-26

कार्यालय जिला कलक्टर आपदा
प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा
विभाग, सिरौही

-०-

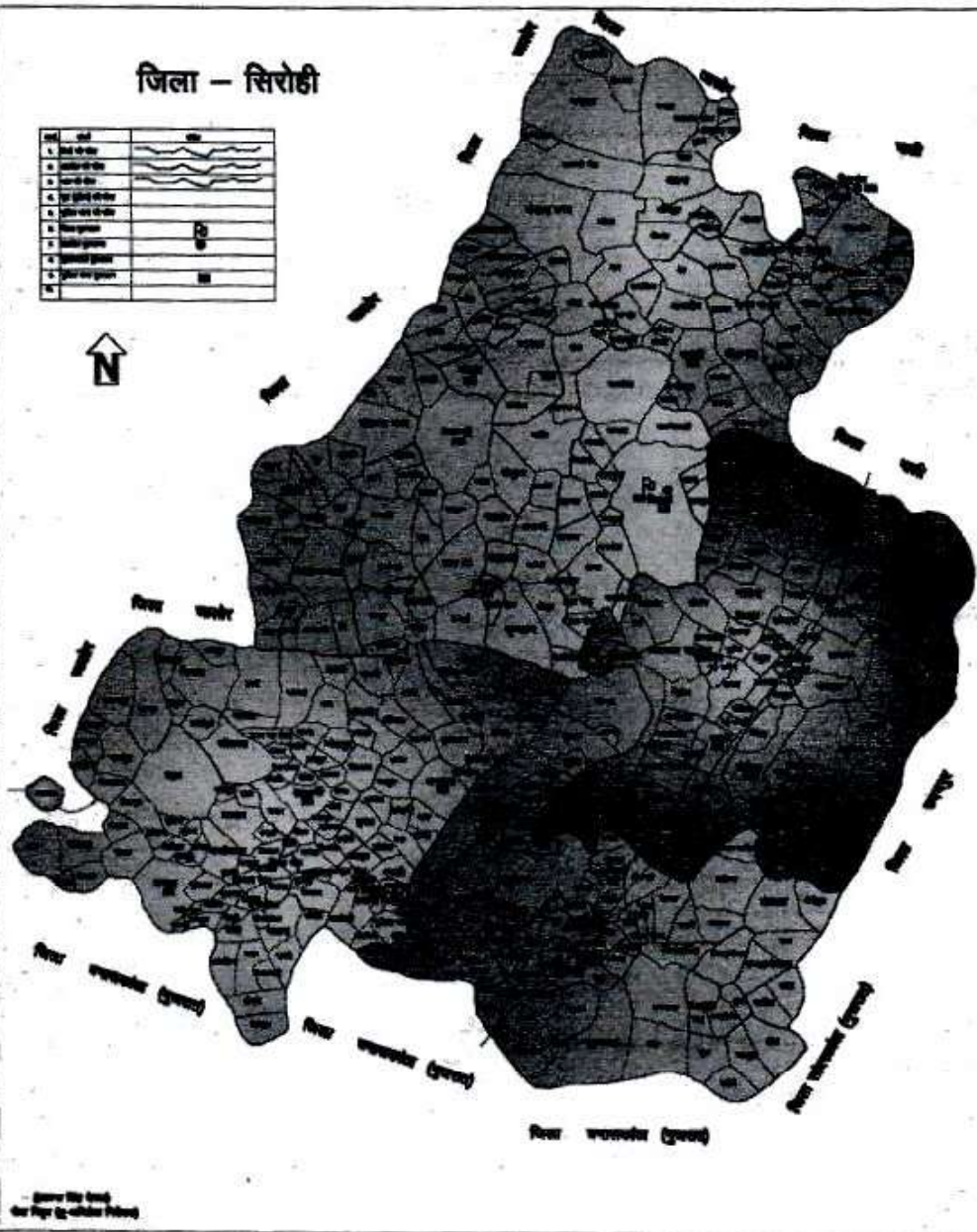
जिले का परिचय

सिरोही जिला एक दृष्टि में

उत्तरी अक्षांश	24° 20' से 25° 17' के मध्य
पूर्वी देशान्तर	72° 16' से 73° 10' के मध्य
क्षेत्रफल	5136 वर्ग किलोमीटर (517947 हेक्टेयर)
सिंचित क्षेत्र	97468 हेक्टेयर
असिंचित क्षेत्र	67508 हेक्टेयर
वर्ष-2011 की जनसंख्या	पुरुष स्त्री योग 534231 502115 1036346
अनुसूचित जाति का प्रतिशत	19.15
अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत	24.76
साक्षरता का प्रतिशत	पुरुष स्त्री योग 69.9 37.1 53.9
पशुधन	1028438
उपखण्ड	6 (सिरोही, शिवगंज, पिण्डवाडा, आबूरोड, आबूपर्वत, रेवदर)
पंचायत समितियाँ	5 (सिरोही, शिवगंज, पिण्डवाडा, आबूरोड, रेवदर)
तहसील	6 (सिरोही, शिवगंज, पिण्डवाडा, आबूरोड, रेवदर, देलदर)
उप-तहसील	4 (कालन्दी, कैलाशनगर, मण्डार, मावरी)
नगर परिषद/नगरपालिकाएँ	6 (सिरोही, शिवगंज, पिण्डवाडा, आबूरोड, आबूपर्वत, मण्डार)
पुलिस थाने	15 + 1 महिला थाना
कुल ग्राम	520
ग्राम पंचायतें	170
मूअमिलेख निरीक्षक वृत्त	41
कुल पटदार हल्के	165
लोकसभा क्षेत्र	जालोर - 18 (सामान्य)
विधानसभा क्षेत्र	03 1. 146-सिरोही (सामान्य) 2. 147-पिण्डवाडा-आबू (एस टी) 3. 148-रेवदर (एस सी)
टीएसपी क्षेत्र	आबूरोड तहसील :- ग्राम पंचायत 32 पिण्डवाडा तहसील :- ग्राम पंचायत 11 राजस्व ग्राम 97 राजस्व ग्राम 51

जिला - सिरौही

क्र.	विवरण	चिह्न
1	राज्य सीमा	—
2	जिला सीमा	—
3	तहसील सीमा	—
4	ग्राम पंचायत सीमा	—
5	ग्राम	●
6	ग्राम मुख्यालय	□
7	ग्राम मुख्यालय	□
8	ग्राम मुख्यालय	□
9	ग्राम मुख्यालय	□
10	ग्राम मुख्यालय	□



➤ **जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही-**

- **नोडल अधिकारी-**जिले में हीटवेव प्रबन्धन के लिये जिला स्तर पर नोडल अधिकारी, अति. जिला कलक्टर सिरोंही को नियुक्त किया गया है।
- **मौसम विभाग से प्राप्त चैतावनी-** मौसम विभाग से प्राप्त चैतावनी को संबंधित विभागों को भिजवाते हुये अपेक्षित कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।
- **प्रचार-प्रसार** जिले के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सहित सभी संबंधित विभागों के सहयोग से आमजन में सूचनाओं, आवश्यक जानकारी Do's & Don'ts तथा चिकित्सकीय मार्गदर्शन का प्रसारण प्रिण्ट, इलेक्ट्रॉनिक तथा सोशल मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है तथा विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
- **नियंत्रण कक्ष-**जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष 24 घण्टे राउण्ड-दी-क्लॉक संचालित है। जिसके दूरभाष नम्बर 02972-225327 एवं 221240 हैं।
- **साप्ताहिक बैठके-** प्रति सप्ताह साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की जाकर हीटवेव के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश प्रदान किये जा रहे हैं।
- **निरीक्षण-** जिले में प्रशासनिक एवं चिकित्सा अधिकारियों द्वारा चिकित्सा संस्थानों का हीटवेव प्रबन्धन से संबंधित निरीक्षण किये जा रहे हैं।

➤ **चिकित्सा व्यवस्था (दवाईया, डॉक्टर,व्यवस्था, निरीक्षण, सीएचसी/पीएचसी)**

- 01-कुलर, पंखे, एसी-सभी चिकित्सा संस्थानों पर पानी, बिजली,कुलर, पंखे, एसी आवश्यकता अनुसार उपलब्ध हैं।
- 02-आरक्षित बेड-जिला अस्पताल में 20, सामुदायिक स्वा. केन्द्र में 10 एवं प्रत्येक प्रा.स्वा.केन्द्र पर 2-2 बेड आरक्षित रखे गये हैं।
- 03-बिजली-इन्वर्टर/जनरेटर की व्यवस्था उपलब्ध है।
- 04-दवाईयों-समस्त चिकित्सा संस्थानों पर पर्याप्त मात्रा में दवाईया उपलब्ध है।
- 05-चिकित्सकों की संख्या-137
- 06-निरीक्षण- चिकित्सालयों की संख्या-46
- 07-कुल सीएचसी की संख्या-12
- 08-कुल पीएचसी की संख्या-29
- 09-जिला अस्पताल-02

➤ **आपातकालिन व्यवस्था-**

एम्बुलेंस-जिले से कुल एम्बुलेंस-37

फायर ब्रिगेड- सिरोंही-02, शिवगंज-01, पिण्डवाडा-01, आबूरोड-02, आबूपर्वत-02, मण्डार-0 कुल-08

➤ **विद्यालय व्यवस्था-**

- विद्यालयों में छात्रों को धूप में नहीं बिठाने एवं छात्रों को छाया में बैठने की व्यवस्था हेतु समस्त सीबीईओ/पीईईओ को निर्देशित किया गया।
- जिले के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था हेतु समस्त सीबीईओ/पीईईओ को निर्देश प्रदान किये गये हैं।
समस्त सीबीईओ/पीईईओ को अपने-अपने क्षेत्राधिकार के नजदीक चिकित्सालय से परस्पर समन्वय स्थापित कर आवश्यक
- दवाईयों, मेडिकल किट, प्राप्त करने हेतु निर्देश प्रदान किये गये।

➤ **नगर परिषद/नगर पालिका**

बस स्टेण्ड मुख्य चौराहे/भीड़माड वाली जगह पर व्यवस्था (नोडल ऑफिसर का नाम, पद एवं मो.नम्बर)

नगर परिषद सिरौही

- 01-व्यवस्था- सिरौही-बस स्टेण्ड, गोयली चौराहा-छाया, पानी एवं टेण्ड की व्यवस्था की गई है।
02-नोडल ऑफिसर-श्री ओमसिंह राजपुरोहित, प्रबन्धक, मो.नं.-8619477404
03-नियंत्रण कक्ष-नगर परिषद सिरौही के नियंत्रण कक्ष नम्बर- 02972-222123

नगर पालिका शिवगंज

- 01-व्यवस्था- बस स्टेण्ड, मेन मार्केट-छाया, पानी एवं टेण्ड की व्यवस्था की गई है।
02-नोडल ऑफिसर-श्री हितेन्द्र सिंह, निरीक्षक, मो.नं.-8107886969
03-नियंत्रण कक्ष-नगर पालिका शिवगंज के नियंत्रण कक्ष नम्बर- 02976-270113

नगर पालिका पिण्डवाडा

- 01-व्यवस्था- बस स्टेण्ड, उदयपुर रोड, आमली रोड-छाया, पानी एवं टेण्ड की व्यवस्था की गई है।
02-नोडल ऑफिसर-श्री अनिलसिंह राजपुरोहित, निरीक्षक, मो.नं.-8078673234
03-नियंत्रण कक्ष-नगर पालिका पिण्डवाडा के नियंत्रण कक्ष नम्बर- 02971-282270

नगर पालिका आबूरोड

- 01-व्यवस्था- बस स्टेण्ड, सदर बाजार,नगर पालिका के पास-छाया, पानी एवं टेण्ड की व्यवस्था की गई है।
02-नोडल ऑफिसर-श्री भवानी सिंह, निरीक्षक, मो.नं.-9079646283
03-नियंत्रण कक्ष-नगर पालिका आबूरोड के नियंत्रण कक्ष नम्बर-9079646283

नगर पालिका आबूपर्वत

- 01-व्यवस्था- नक्की क्षेत्र, अर्बुवा माताजी मंदिर, अम्बेडकर चौराहा, सनसेट के पास-छाया, पानी एवं टेण्ड की व्यवस्था की गई है।
02-नोडल ऑफिसर-श्री लक्ष्मण कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता, मो.नं.-7014699081
03-नियंत्रण कक्ष-नगर पालिका आबूपर्वत के नियंत्रण कक्ष नम्बर-8308591122

गर्मी/ताप की लहर में करने योग्य कार्य-क्या करें (Do's)

समस्त के लिये

- रेडियो सुने/टीवी देखे/स्थानीय मौसम की जानकारी के लिये समाचार पत्र पढ़ या संबंधित मोबाईल एप डाउनलोड करें।
- पर्याप्त पानी पिये-आपने आप को हाईड्रेड रखने के लिये ओआरएस (ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन) घर के बने पेय जैसे- लस्सी, निबू का पानी, छाछ आदि का सेवन करें।
- हल्के रंग के ढीले, सूती कपड़े पहनें।
- यदि कहीं बाहर है, तो अपना सिर ढके-कपड़े, टोपी या छतरी का उपयोग करें। आंखों की सुरक्षा के लिये धूप के चश्मे प्रयोग करें और त्वचा की सुरक्षा के लिये सनस्क्रीन लगायें।
- प्राथमिक चिकित्सा में प्रशिक्षण लें।

नियोक्ता और श्रमिकों के लिए

- कार्य स्थल पर ठंडे पेयजल का प्रयोग करें।
- सभी श्रमिकों के लिये आराम के लिए छाया, साफ पानी, छाछ, आईस पैक के साथ प्राथमिक चिकित्सा किट और ओआरएस (ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन) का प्रबन्ध रखें।
- श्रमिकों के लिये सीधी धूप से बचने के लिये कहे।
- श्रमसाध्य कार्यों को दिन के कम ताप वाले समय में ही करें।
- बाहरी गतिविधियों के दौरान विश्राम करने की आवृत्ति और सीमा समय बढ़ाये।
- श्रमिकों को लू से संबंधित चेतावनी के बारे में सूचित करें।
- जिन श्रमिकों के लिये गर्मी वाले क्षेत्र नए हो, उन्हें हल्का काम और कम घंटों का काम दें।

बरतने योग्य अन्य सावधानियां

- बंद वाहन में बच्चों या पालतू जानवरों को कभी अकेला ना छोड़े।
- पंखे और नम कपड़ों का प्रयोग करें, ठंडे पानी में स्नान करें।
- सार्वजनिक परिवहन और कार-पूलिंग का प्रयोग करें। यह भूमण्डलिय उष्मीकरण और गर्मी को कम करने में मदद करेगा।
- पेड़ लगाये। सूची पत्तियों, कृषि अवशेषों और कचरे को न जलाये।
- जल स्रोतों का संरक्षण करें। वर्षा के जल को संचयित करें।
- आर्ज-कुशल उपकरणों, स्वच्छ ईंधन और आर्ज के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करें।
- अगर आपको चक्कर आ रहे हैं या आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो तुरन्त डॉक्टर के पास जाये या किसी को तुरन्त डॉक्टर के पास जाने के लिये कहें।

नया घर बनाते समय ध्यान रखने योग्य बचाव

- नियमित दीवारों की बजाय कैविटी तकनीक का उपयोग करें।
- चौड़ी दीवारें बनवाये। वे घर को ठंडा रखती हैं।
- जालीदार दीवारें और लोब वाले उद्घाटनों का निर्माण करें। वे अधिकतम वायु-प्रवाह कर गर्मी को अवरुद्ध करते हैं।
- दीवारों को रंगने के लिये प्राकृतिक सामग्री जैसे चूने या मिट्टी का प्रयोग करें।
- यदि संभव हो तो कांच के इस्तेमाल से बचे।
- निर्माण करने से पहले बिल्डिंग टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ से सलाह लें।

मवेशियों के लिये

- पशुओं को छाया में रखें और उन्हें पीने के लिए पर्याप्त, स्वच्छ और ठंडा पानी दें।
- उनसे सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच काम न ले।

- शेड की छत को पुआल से ढक दे, तापमान कम करने के लिये इसे सफेद रंग/चूने से रंग दे या गोबर से लीप दे।
- लेड में पंखे, वाटर स्प्रे और फॉमर्स का प्रयोग करे।
- अत्यधिक गर्मी के दौरान, पानी का छिड़काव करे और मवेशियों को ठंडा करने के लिए एक जल निकाय पर ले जाए।
- उन्हें हरी घास, प्रोटीन वसा बाईपास पूरक, खनिज मिश्रण और नमक दें। कम गर्मी वाले घंटों के दौरान उन्हें चरने दें।

क्या न करें (Don't)

- धूप में बाहर जाने से बचे, खासकर दोपहर 12 और 3 बजे के बीच।
- दोपहर में बाहर भारी कामों से बचे।
- नंगे पांव बाहर न जायें।
- दिन के सबसे गर्म समय के दौरान खाना पकाने से बचे। खाना पकाने वाले हिस्से को हवादार बनाए रखने के लिए दरवाजे और खिड़कियां खुली रखे।
- शराब, चाय, कॉफी और कॉर्बोनेटेड शीतल पेय से बचें। वे शरीर को निर्जलित करते हैं।
- अधिक प्रोटीन वाले भोजन से बचें। बासा भोजन ना करे।
- पार्क किए गए वाहनों में बच्चों या पालतू जानवरों को न छोड़े, वे गर्म हवा से प्रभावित हो सकते हैं।
- ऐसे बल्बों का उपयोग करने से बचे जो अनावश्यक गर्मी उत्पन्न करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि लगातार चलते हुए कम्प्यूटर या बिजली के उपकरण।

लू से प्रभावित व्यक्तियों के उपचार के लिए उपाय

- लू से प्रभावित व्यक्ति के उपचार के लिए उपाय
- तापमान को कम करने के लिए पीडित के सिर पर गीले कपड़े का उपयोग करे/पानी डाले।
- व्यक्ति को ओआरएस / नीबू शरबत या जो कुछ भी शरीर को पुनः सक्रिय करने के लिए उपयोगी हों, पीने के लिए दें।
- व्यक्ति को तुरन्त नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र ले जाये।
- यदि लगातार उच्च तापमान बना रहता है और सिरदर्द, चक्कर आना, कमजोरी, मतली या भटकाव आदि के लक्षण स्पष्ट महसूस हो तो ऐसी स्थिति में 100 नं पर कॉल करे।

NDMA Advisory For Heat Wave-2025

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

- विभिन्न स्थानों पर हीट वेव अलर्ट के लिए कलर कोडिंग वाले डिस्प्ले डिजिटल बोर्ड लगाएं।
- सामान्य जागरूकता के लिए क्या करें और क्या न करें का व्यापक रूप से प्रचार करें, अधिमानतः क्षेत्रीय भाषा में।
- क्षेत्रीय भाषा में आईईसी प्रिंट सामग्री (प्रिंट सामग्री, रेडियो-जिंगल्स और टीवी) प्रकाशित करें।

स्वास्थ्य विभाग

- स्वास्थ्य केंद्रों और आंगन बाड़ियों में ओआरएस पैकेट, आवश्यक दवाएं, अंतःस्रावी तरल पदार्थ, आइस पैक आदि का पर्याप्त भण्डारण रखें।
- गर्मी की लहर से संबंधित किसी भी स्थिति से निपटने के लिए विशेष एसी वार्ड समर्पित किए जा सकते हैं।
- जिला अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रारंभिक चेतावनी प्रसार की निगरानी।
- ग्राम स्तर तक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को दिशा-निर्देश एवं प्रशिक्षण।
- गर्मी की लहर के कारण मृत्यु दर और मृत्यु की रुग्णता की निगरानी और रिपोर्टिंग सख्ती से पालन किया जा सकता है।
- यदि कोई सामूहिक जमावड़ा हो तो आसपास की स्वास्थ्य सुविधाओं को सतर्क और सक्रिय किया जा सकता है।

शहरी स्थानीय निकाय / पंचायती राज

- ग्रामीण विकास और श्रम एवं रोजगार, विभागों के सहयोग से मनरेगा श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों के लिए विशेष आश्रय स्थापित करना और उनके काम के घंटों को पुनर्निर्धारित करना।
- लू प्रभावित क्षेत्रों / मोहल्लों में पेयजल सुविधा की व्यवस्था करना।
- पार्कों, बस स्टैण्डों, पर्यटन स्थलों एवं खुले क्षेत्रों में छाया की व्यवस्था करें।
- सभी क्षेत्रों विशेषकर अनौपचारिक बस्तियों में पानी की निर्बाध आपूर्ति।

श्रम विभाग

- गर्मी की लहर से संबंधित बीमारियों के संबंध में निर्माण / उद्योग/वाणिज्यिक अधिकारों के साथ प्रशिक्षण।
- चरम गर्मी के घंटों से बचने के लिए काम के समय पर सलाह जारी की जा सकती है।
- स्वास्थ्य विभागों के सहयोग से विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्रों और बस्तियों में स्वास्थ्य शिविर, श्रमिकों के लिए सभी कार्य परिसरों में पेयजल की सुविधा।

कृषि एवं पशुपालन

- शीत भंडारण सुविधाएं सुनिश्चित करके तथा सार्वजनिक खरीद के लिए मंडियों / बाजारों में शीघ्र आवाजाही सुनिश्चित करके गर्मी के कारण न्यूनतम फसल क्षति सुनिश्चित करके के लिए जागरूकता फैलाना।
- पशुओं पर गर्मी के प्रभाव और उससे निपटने के तरीकों के बारे में जागरूकता करना।
- पशुओं के लिए पशु चिकित्सा दवाईयां और पीने के पानी के साथ आश्रय स्थल की व्यवस्था करना।

शिक्षा क्षेत्र

- अत्यधिक गर्मी / दोपहर से बचने के लिए स्कूल का समय पुनः निर्धारित किया जाना चाहिए। स्कूल जल्दी शुरू हो सकते हैं और दोपहर से पहले बंद हो सकते हैं।
- सभी स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में पेयजल स्टेशन कियोस्क / शेड की स्थापना
- बाहरी शारीरिक गतिविधियों से बचना होगा।

जिला स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही

- लू के कारण क्या करें और क्या न करें के बारे में जनता को सूचित और शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाना।
- गर्मी से संबंधित बीमारियों के जोखिमों और खतरों पर नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करें सार्वजनिक भवनों, मॉल, धार्मिक स्थानों आदि जैसे शीतलन केंद्रों को सक्रिय करना।
- गैर सरकारी संगठनों, सामुदायिक समूहों और व्यक्तियों से लू की स्थिति के दौरान सार्वजनिक लू स्थानों पर पीने के पानी/छाछ के कियोस्क खोलने का आग्रह करें करना।
- बिजली वितरण / पारेषण कंपनियों से अस्पतालों और यूएचसी जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं के लिए बिजली आपूर्ति बनाए रखने को प्राथमिकता देने का आग्रह करना।
- चुनाव के मतदान के समय और अन्य सभी आवश्यक उपायों के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ समन्वय करना।
- स्थानीय स्तर पर जब भी आवश्यकता हो, स्कूलों, कॉलेजों, संस्थानों आदि के समय में परिवर्तन करना।

विभागवार की गई कार्यवाही कार्यवाही

क्र.सं.	नाम विभाग	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही
01	पुलिस विभाग	जिला पुलिस अधीक्षक, सिरोंही के पत्रांक: 2146 दिनांक 12.04.2025 एवं पत्रांक 2147 दिनांक 13.04.2025 के द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोंही के पत्रांक: 935 दिनांक 10.04.2025 एवं जिला कलक्टर सिरोंही के पत्रांक: 131 दिनांक 11.04.2025 के निर्देशों को प्रचार-प्रसार एवं बचाव एवं तैयारियों/अग्रिम व्यवस्था हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिरोंही, समस्त वृत्ताधिकारी/थानाधिकारी जिला सिरोंही/संचित निरीक्षक, पुलिस लाइन सिरोंही प्रभारी, अपराध शाखा/जिला विशेष शाखा/कन्ट्रोल रूम को निर्देशित किया गया।
02	उप वन रक्षक (वन्यजीव) सिरोंही	सिरोंही वन मण्डल अधिन वन क्षेत्र में निर्मित वाटर हॉल की साफ सफाई करवायी जाकर नियमित रूप से पानी की व्यवस्था की जा रही है। वन मण्डल, सिरोंही अधिन वन क्षेत्रों में वनाग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु फायर लाइन निर्माण किया गया है एवं फायर वॉचर द्वारा नियमित निगरानी कर वन कर्मियों वनाग्नि रोकथाम की कार्यवाही की जा रही है। इस वन मण्डल को आवंटित बजट से वन्यजीवों को पानी की व्यवस्था वॉटर हॉल द्वारा की जा रही है एवं वनक्षेत्र के बाहर खाली पड़े वॉटर हॉल में पानी की व्यवस्था प्रशासनिक विभाग द्वारा की जाती है। हीट वेव से पीड़ित वन्यजीवों की सूचना प्राप्त होने पर वन कर्मियों द्वारा रेस्क्यू कर उपचार किया जाता है। वन मण्डल सिरोंही अधिन कार्यरत समस्त वन कर्मियों के मोबाइल नं. FSI पोर्टल पर रजिस्टर्ड है जिससे अग्नि दुर्घटना होने पर तुरन्त अलर्ट मैसेज प्राप्त होता है। जिससे वन कर्मि वांछित स्थान पर तुरन्त पहुंच कर वनाग्नि पर काबू पाते हैं। विभाग द्वारा उच्च कार्यालय से प्राप्त निर्देशों/ लक्ष्यों अनुसार प्रतिवर्ष वनक्षेत्रों में वृक्षारोपण करवाया जाता है एवं स्थानीय पंचायतों एवं अन्य संस्थाओं को भी पौध वितरण किया जाता है। एवं वनक्षेत्र के बाहर खाली पड़े वॉटर हॉल में पानी की व्यवस्था प्रशासनिक विभाग द्वारा की जाती है। वन मण्डल सिरोंही अधिन कार्यरत समस्त वन कर्मियों के मोबाइल नं. FSI पोर्टल पर रजिस्टर्ड है जिससे अग्नि दुर्घटना होने पर तुरन्त अलर्ट मैसेज प्राप्त होता है। जिससे वन कर्मि वांछित स्थान पर तुरन्त पहुंच कर वनाग्नि पर काबू पाते हैं।
	उप वन संरक्षक	(1)-वन्यजीव अभयारण्य में विभिन्न प्रकार के वन्यजीव यथा स्लोथ चियर, पैथर, सांभर, जंगली सुअर जंगली बिल्ली जंगली मुर्ग एवं अन्य वन्यजीव व फक्षी पाये जाते हैं। ग्रीष्मकाल में वन्यजीवों एवं पक्षियों हेतु पानी की व्यवस्था वन विभाग द्वारा कुल 105 प्राकृतिक एवं कृत्रिम जल स्रोतों की सफाई कर उनमें आवश्यकतानुसार पानी डलवाकर की जाती है साथ ही मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिये वनक्षेत्रों को चारों ओर सुरक्षा दीवार का निर्माण कराया जाकर ग्रीष्म ऋतु में जल स्रोतों में आवश्यकतानुसार पानी डलवाकर वन्यजीवों को वनक्षेत्र से बाहर जाने से रोका जाता है ताकि वन्यजीव पानी की तलाश में वनक्षेत्र के बाहर नहीं आवे।

		(2)- वन्यजीव अभयारण्य माउन्ट आबू में वनाग्नि की घटनाओं का योजनाबद्ध तरीके से बेहतर प्रबन्धन किया जाता है। असामाजिक तत्वों द्वारा पिछले कुछ दिनों से वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में आगजनी की घटनाएं घटित हो रही हैं। वन विभाग के पास स्टाफ की कमी एवं सीमित सत्ताधनों के बावजूद भी आगजनी की घटनाओं पर अकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है। वनाग्नि के बेहतर प्रबन्धन हेतु कमेटी गठित कर कर्मचारियों को अलर्ट मांड पर रखा जाता है तथा वनाग्नि की घटनाओं की रोकथाम हेतु आवंटित बजट के अनुसार फायर लाईन निर्माण/संचारण कार्य करवाये जाते हैं। (3)- ग्रीष्मकाल में वन्यजीवों एवं पक्षियों हेतु पानी की व्यवस्था वन विभाग द्वारा कुल 105 प्राकृतिक एवं कृत्रिम जल स्रोतों की सफाई कर उनमें आवश्यकतानुसार पानी डलवाकर कर जाती है। (4)- वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में हीटवेव से पीड़ित वन्यजीवों का रेस्क्यू कर उपचार कार्य भी किया जाता है। (5)- इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी कार्यालय आदेशों के तहत कर्मचारियों की वनाग्नि के बेहतर प्रबन्धन हेतु कमेटी गठित कर कर्मचारियों को अलर्ट मोड पर रखा जाता है ताकि वनाग्नि की घटना घटित होने पर तुरन्त काबू किया जा सके। (6)- प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में निर्धारित शुल्क अनुसार पौध वितरण का कार्य प्रस्तावित माह जुलाई से किया जाना है। पिच पीरियड में पीने के पानी की व्यवस्था को पूर्ण करने के साथ ही विभिन्न चनइसपबपजल, एवं अवेयरनेस, वन्यजीव सुरक्षा सप्ताह एवं वैटलेण्ड दिवस इत्यादि गनाये जाते हैं। तथा वर्षा ऋतु में वृक्षारोपण कार्य भी किया जाता है। (7)- माउन्ट आबू वन्यजीव अभयारण्य अधिन कार्यरत समस्त वन कर्मियों के मोबाईल न. एफ. एस. आई पोर्टल पर रजिस्टर्ड है जिससे अग्नि दुर्घटना होने पर तुरन्त अलर्ट मैसेज प्राप्त होता है जिससे वन कर्मों वांछित स्थान पर स्थानीय लेबर के साथ पहुंच कर वनाग्नि पर काबू पाते हैं।
03.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सिरोंही एवं विकास अधिकारी समस्त	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सिरोंही के अनुसार :- माननीय न्यायालय से संप्रेरणा सञ्ज्ञान द्वारा हीवेव की तैयारियों हेतु समस्त विकास अधिकारियों को पालना हेतु निर्देशित किया गया। विकास अधि.पं.स.सिरोंही- बीसीएमओं को पत्र लिखकर कार्य स्थल पर उक्त व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु ग्राम विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उक्त व्यवस्था की जा रही है। विकास अधि.पं.स.शिवगज- बीसीएमओं को पत्र लिखकर निर्देशित किया जा चुका है। विकास अधि.पं.स.रेवदर- बीसीएमओं को निर्देशित कर ए.एन.एम. द्वारा समस्त कार्य स्थलों पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। विकास अधि.पं.स.पिण्डवाडा- मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है। विकास अधि.पं.स.आबूरोड-बीसीएमओं को निर्देशित कर ए.एन.एम. द्वारा समस्त कार्य स्थलों पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। विकास अधि.पं.स.सिरोंही- उक्त व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु गाम विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। विकास अधि.पं.स.शिवगज- बीसीएमओं को पत्र लिखकर निर्देशित किया जा चुका है। विकास अधि.पं.स.रेवदर- बीसीएमओं को निर्देशित कर ए.एन.एम. द्वारा कार्य किया जा रहा है। विकास अधि.पं.स.पिण्डवाडा- मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है। विकास अधि.पं.स.आबूरोड- बीसीएमओं को निर्देशित कर ए.एन.एम. द्वारा कार्य किया जा रहा है। विकास अधि.पं.स.सिरोंही- उक्त व्यवस्था भामाशाह के सहयोग से करवाई जा रही है। विकास अधि.पं.स.शिवगज- करवा दी गई है। विकास अधि.पं.स.रेवदर- पेयजल की व्यवस्था करवाई जा रही है। विकास अधि.पं.स.पिण्डवाडा- करवा दी गई है। विकास अधि.पं.स.आबूरोड- पेयजल की व्यवस्था करवाई जा रही है। विकास अधि.पं.स.सिरोंही- भामाशाहों के सहयोग से उक्त व्यवस्था करवाई जा रही है। विकास अधि.पं.स.शिवगज- करवा दी गई है। विकास अधि.पं.स.रेवदर- आवश्यकता अनुसार व्यवस्था की जा रही है। विकास अधि.पं.स.पिण्डवाडा- करवा दी गई है। विकास अधि.पं.स.आबूरोड- आवश्यकता अनुसार व्यवस्था की जा रही है। विकास अधि.पं.स.सिरोंही- भामाशाह के सहयोग से काम जारी है। विकास अधि.पं.स.शिवगज- भामाशाह के सहयोग से काम जारी है। विकास अधि.पं.स.रेवदर- भामाशाह के सहयोग से कार्य जारी है। विकास अधि.पं.स.पिण्डवाडा- भामाशाह के सहयोग से काम जारी है। विकास अधि.पं.स.आबूरोड- भामाशाह के सहयोग से कार्य जारी है।

		विकास अधि.पं.स.सिरोही-उक्त व्यवस्था की जा रही है। विकास अधि.पं.स.शिवगंज-0 विकास अधि.पं.स.रेवदर- आवश्यकता अनुसार व्यवस्था की जा रही है। विकास अधि.पं.स.पिण्डवाडा-0 विकास अधि.पं.स.आबूरोड-आवश्यकता अनुसार व्यवस्था की जा रही है। विकास अधि.पं.स.सिरोही-कार्य स्थल पर मेडिकल किट की व्यवस्थाद करवा दी गई है। विकास अधि.पं.स.शिवगंज- कार्य स्थल पर मेडिकल किट की व्यवस्थाद करवा दी गई है। विकास अधि.पं.स.रेवदर- कार्य स्थल पर मेडिकल किट की व्यवस्थाद करवा दी गई है। विकास अधि.पं.स.पिण्डवाडा- कार्य स्थल पर मेडिकल किट की व्यवस्थाद करवा दी गई है। विकास अधि.पं.स.आबूरोड - कार्य स्थल पर मेडिकल किट की व्यवस्थाद करवा दी गई है। विकास अधि.पं.स.सिरोही-कार्य स्थल पर मेडिकल उपलब्धता भौतिक सत्यापन एएमएम द्वारा सभी कार्यस्थल पर जाकर ग्रमिकों को हिटवेव से बचाव के बारे में जानकारी प्रदान करना एवं मेडिकल किट उपलब्ध करवा दिये गये है। विकास अधि.पं.स.शिवगंज- उपरोक्तानुसार करवा दिये गये है। विकास अधि.पं.स.पिण्डवाडा- उपरोक्तानुसार करवा दिये गये है। विकास अधि.पं.स.आबूरोड- उपरोक्तानुसार करवा दिये गये है। विकास अधि.पं.स.सिरोही-ग्राम पंचायत के सभी हैण्डपम्प कार्यशील है एवं खराब होने पर तत्काल मरम्मत हेतु जन स्वा. अभियांत्रिकी विभाग को सूचित किया जा रहा है। मामाशाह के सहयोग से करवाया जा रहा है। विकास अधि.पं.स.शिवगंज-ग्राम पंचायत के सभी हैण्डपम्प कार्यशील है एवं मामाशाह से करवाया जा रहा है। विकास अधि.पं.स.रेवदर-ग्राम पंचायत के सभी हैण्डपम्प कार्यशील है एवं मामाशाह से करवाया जा रहा है। विकास अधि.पं.स.पिण्डवाडा- ग्राम पंचायत के सभी हैण्डपम्प कार्यशील हैं। एवं मामाशाह से करवाया जा रहा है। विकास अधि.पं.स.आबूरोड-ग्राम पंचायत के सभी हैण्डपम्प कार्यशील है। इसके अतिरिक्त व्यवस्था मामाशाह के सहयोग से करवाई जा रही है।
04	उपखण्ड अधिकारी समस्त/तहसीलदार	सिरोही- साप्ताहिक बैठक कर निर्देश दिए गए। रेवदर- सभी विभागों के साथ समन्वय एवं साप्ताहिक समीक्षा बैठक में हीटवेव के बचाव कार्य हेतु दिशा-निर्देश दिये जा रहे है। पिण्डवाडा- सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ साप्ताहिक बैठक का आयोजन कर समीक्षा की जा रही है आबूरोड/आबूपर्वत -साप्ताहिक बैठक कर निर्देश दिये गये। शिवगंज- बैठक का अयोजन कर लिया गया है। तहसीलदार सिरोही:- विभागीय समन्वय बैठक तहसील कार्यालय में संबंधित विभागों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नायब तहसीलदार मू. अभिलेख निरीक्षक, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी तथा कृषि सुपरवाइजर को उनके दायित्वों से अवगत करवाया जाकर अपने मुख्यावास पर रहने के आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये। तहसीलदार पिण्डवाडा- उपखण्ड स्तर पर साप्ताहिक बैठक (सोमवार) इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की गयी है एवं विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गए है। तहसीलदार शिवगंज- बैठक का अयोजन कर लिया गया है। तहसीलदार रेवदर- साप्ताहिक बैठक कर निर्देश दिये गये। तहसीलदार सिरोही-उपखण्ड कार्यालय द्वारा की जा रही है। तहसीलदार आबूरोड- साप्ताहिक बैठक कर निर्देश दिये गये। सिरोही -पंचायत स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। रेवदर- सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों का ग्रुप बने हुए एवं तापमान व मौसम की पूर्वानुमान सूचना समय पर दी जा रही है। पिण्डवाडा- सभी ओफिसियल ग्रुप व अन्य सोशल मिडिया के ग्रुप के माध्यम से हीटवेव से बचने की गाईडलाईन का प्रचार- प्रसार किया जा रहा है। आबूरोड/आबूपर्वत-पंचायत स्तर पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। शिवगंज- सभी उपखण्ड स्तर के अधिकारियों का ग्रुप बना लिया है। तहसीलदार सिरोही:- पेयजल की व्यवस्था पटवारियों एवं सचिवों को गर्मी एवं पेयजल संकट से प्रभावित क्षेत्रों की रिपोर्ट तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया। जलदाय विभाग से समन्वय कर विशेष पेयजल टैंकर की व्यवस्था हेतु सूचित किया गया है। तहसीलदार पिण्डवाडा- सभी संबंधित विभागों के उपखंड स्तरीय अधिकारियों का ग्रुप बना हुआ है जिसमें मौसम पूर्वानुमान की सूचना आमजन तक पहुँचाने हेतु संबंधित विभाग के अधिकारियों को पाबन्द

	किया गया है। तहसीलदार शिवगंज— सभी उपखण्ड स्तर के अधिकारियों का ग्रुप बना लिया है। तहसीलदार देलदर— पंचायत स्तर पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तहसीलदार रेवदर— आमजन के व्हाट्स ग्रुप में मौसम के पूर्वानुमान के अलर्ट की सूचना समय पर भिजवाई जा रही है। तहसीलदार आबूरोड— पंचायत स्तर पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सिरौही— सभी को हीटवेव के प्रति जागरूक किया जा रहा है। रेवदर— सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को निरीक्षण एवं हीटवेव से बचाव कार्य हेतु निर्देशित किया गया है। पिण्डवाडा— सभी अधिकारियों द्वारा फ़िल्ड विजिट कर आवश्यक पानी, बिजली चिकित्सा की व्यवस्था एवं हीट वेव से बचाव हेतु आमजन को जागरूक किया जा रहा है। आबूरोड/आबूपर्वत— सभी को हीटवेव के प्रति जागरूक किया जा रहा है। शिवगंज— उपखण्ड स्तर के अधिकारियों द्वारा फ़िल्ड विजिट, रात्रि चौपाल, जनसुनवाई सभी को जागरूक किया गया। तहसीलदार सिरौही— ग्राम स्तर पर लू व तापघात से बचाव हेतु जनजागरूकता अभियान प्रारंभ किया गया है। तहसीलदार पिण्डवाडा— उपखण्ड स्तर पर सभी उपखण्ड स्तरीय अधिकारियों को नियमित फ़िल्ड विजिट कर आवश्यक पानी, बिजली, चिकित्सा की व्यवस्था एवं हिटवेव से बचाव हेतु आमजन को जागरूक करने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। तहसीलदार शिवगंज— उपखण्ड स्तर के अधिकारियों द्वारा फ़िल्ड कने विजिट, रात्रि चौपाल, जनसुनवाई सभी को जागरूक किया जा रहा है। तहसीलदार देलदर— सभी को हीटवेव के प्रति जागरूक किया जा रहा है। तहसीलदार रेवदर— फ़िल्ड विजिट कर आवश्यक पानी बिजली चिकित्सा की व्यवस्था एवं हीटवेव से बचाव हेतु आमजन को जागरूक किया जा रही है। तहसीलदार आबूरोड— सभी को हीटवेव के प्रति जागरूक किया जा रहा है।
	सिरौही— समय-समय पर सीएचसी/पीएचसी का निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाओं के बारे में निर्देशित किया गया है। वार्डों में ए.सी. पंखा, कुलर आदि की सुविधा उपलब्ध है। रेवदर— सभी सीएचसी/पीएचसी में निरंतर निरीक्षण किया जा रहा है। एवं मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी को समस्त व्यवस्था हेतु निर्देशित किया गया है। पिण्डवाडा— सभी सीएचसी/पीएचसी स्तर पर डोर-टू-डोर सर्वे, हिटवेव से पीड़ित के उपचार हेतु आवश्यक दवाई, विशेष वार्ड पंखा, कुलर आदि की सुविधा की जा रही है। बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। नियमित सीएससी/पीएससी का निरीक्षण किया जा रहा है। आबूरोड/आबूपर्वत— समय-समय पर सीएचसी/पीएचसी का निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाओं के बारे में निर्देशित किया गया है। वार्डों में ए.सी. पंखा, कुलर आदि की सुविधा उपलब्ध है। शिवगंज— उपखण्ड क्षेत्र शिवगंज में सीएचसी/पीएचसी स्तर पर सुविधा की जा चुकी है। तहसीलदार सिरौही— मेडिकल अधिकारियों से समन्वय कर ओआरएस ग्लूकोज एवं प्राथमिक उपचार सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। तहसीलदार पिण्डवाडा— हिटवेव से बचाव हेतु किये जाने वाले उपायों का प्रचार प्रसार हेतु अपने सभी अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारीयों को पाबन्द कर आवश्यक व्यवस्था करने हेतु पाबन्द किया गया है। तहसीलदार शिवगंज— उपखण्ड क्षेत्र शिवगंज में सीएचसी / पीएचसी स्तर पर सुविधा की जा चुकी है। बिजली व्यवस्था की मॉनिटरिंग की जा रही है। तहसीलदार देलदर— समय-समय पर सीएचसी / पीएचसी का निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाओं के बारे में निर्देशित किया गया है वहां वार्डों में एंसी०, पंखा, कुलर आदि की सुविधा उपलब्ध है। तहसीलदार रेवदर— मॉनीटरिंग एवं आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निर्देश प्रदान किये जा रहे हैं। तहसीलदार आबूरोड— समय-समय पर सीएचसी & पीएचसी का निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाओं के बारे में निर्देशित किया गया है वहां वार्डों में एंसी०, पंखा, कुलर आदि की सुविधा उपलब्ध है।
	सिरौही— नियमित पेयजल आपूर्ति हेतु उपखण्ड क्षेत्र सिरौही में फ़िल्ड विजिट कर समाधान किया गया। रेवदर— पीएचडी विभाग के सहायक अभियंता को निर्देशित किया गया जलापूर्ति एवं समय-समय पर निरीक्षण किया जा रहा है। पिण्डवाडा— सहायक अभियंता जलदाय विभाग द्वारा प्रतिदिन गांव-गांव जाकर पानी सप्लाई की सुनिश्चितता की पालना की जा रही है। आबूरोड/आबूपर्वत— नियमित पेयजल आपूर्ति हेतु उपखण्ड क्षेत्र आबूरोड में फ़िल्ड विजिट कर समाधान किये गया एवं उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा अवगत कराया गया है कि नियमित पेयजल आपूर्ति हेतु तहसीलदार देलदर क्षेत्र में फ़िल्ड विजिट कर समाधान किया गया है। शिवगंज— उपखण्ड क्षेत्र शिवगंज में पेयजल आपूर्ति सुचारु रूप से की जा रही है।

	तहसीलदार सिरौही- पेयजल की व्यवस्था पटवारियों एवं सचिवों को गमी एवं पेयजल संकट से प्रभावित क्षेत्रों की रिपोर्ट तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया। जलदाय विभाग से समन्वय कर विशेष पेयजल टैंकर की व्यवस्था हेतु सूचित किया गया है। तहसीलदार पिण्डवाडा- संबंधित विभाग के अधिकारियों को नियमित पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था, आवश्यकता अनुसार नए जल स्रोतों की स्थापना सुनिश्चित एवं ग्राम पंचायतों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। तहसीलदार शिवगंज- उपखण्ड क्षेत्र शिवगंज में सीएचसी & पीएचसी स्तर पर सुविधा की जा चुकी है। बिजली व्यवस्था की मॉनिटरिंग की जा रही है। तहसीलदार देलदर- नियमित पेयजल आपूर्ति हेतु तहसील देलदर क्षेत्र आबूरोड में फील्ड विजिट कर समाधान किया गया। तहसीलदार रेवदर- तहसील क्षेत्र रेवदर में नियमित रूप से पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था, आवश्यकतानुसार नए जल स्रोतों की स्थापना सुनिश्चित की जा रही है। तहसीलदार आबूरोड- नियमित पेयजल आपूर्ति हेतु तहसील आबूरोड क्षेत्र आबूरोड में फील्ड विजिट कर समाधान किया गया। सिरौही- विद्युत संबंधी समस्याओं पर फील्ड विजिट कर बिजली सप्लाई नियमित करने हेतु कहा गया एवं बिजली की मांग बढ़ने पर आवश्यक जनरेटर, आदि की व्यवस्था करने संबंधी निर्देश दिए गए। रेवदर- सभी डिस्कॉम के अधिकारियों को निर्देशित किया गया की समय पर समस्या का समाधान किया जावे एवं समय-समय पर निरीक्षण भी किया जा रहा है। पिण्डवाडा- सहायक अभियंता विद्युत विभाग द्वारा दिनांक 22.04.2025 को लाईन के रख-रखाव का कार्य किया गया है तथा भविष्य में कोई रख रखाव का कार्य होगा तो सुबह के समय 6 से 9 के मध्य ही किया जायेगा। आबूरोड/आबूपूर्वत- विद्युत संबंधी समस्याओं पर फील्ड विजिट कर बिजली सप्लाई नियमित करने हेतु कहा गया एवं बिजली की मांग बढ़ने पर आवश्यक जनरेटर आदि की व्यवस्था करने संबंधी निर्देश दिये गये। शिवगंज- पालना की जा रही है। तहसीलदार सिरौही- मेडिकल अधिकारियों से समन्वय कर ओआरएस ग्लूकोज एवं प्राथमिक उपचार सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। तहसीलदार पिण्डवाडा- तहसीलदार द्वारा लगातार फील्ड तु विजिट कर नियमित बिजली आपूर्ति एवं समस्या के समाधान हेतु बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर समस्या के समाधान हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। तहसीलदार शिवगंज- उपखण्ड क्षेत्र शिवगंज में सीएचसी / पीएचसी स्तर पर सुविधा की जा चुकी है। बिजली व्यवस्था की मॉनिटरिंग की जा रही है। तहसीलदार देलदर- विद्युत संबंधी समस्याओं पर फील्ड विजिट कर बिजली सप्लाई नियमित करने हेतु कहा गया एवं बिजली की मांग बढ़ने पर आवश्यक जनरेटर आदि की व्यवस्था करने संबंधी निर्देश दिये गये। तहसीलदार रेवदर- विद्युत मांग बढ़ने के कारण लगातार फील्ड विजिट कर नियमित बिजली आपूर्ति एवं समस्या के समाधान हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। तहसीलदार आबूरोड- विद्युत संबंधी समस्याओं पर फील्ड विजिट कर बिजली सप्लाई नियमित करने हेतु कहा गया एवं बिजली की मांग बढ़ने पर आवश्यक जनरेटर आदि की व्यवस्था करने संबंधी निर्देश दिये गये। सिरौही- प्रत्येक पंचायत स्तर पर पेयजल की व्यवस्था की गई एवं आमजन में लगातार प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। रेवदर- पीएचडी विभाग के सहायक अभियंता को निर्देशित किया गया जलापूर्ति एवं समय समय पर निरीक्षण किया जा रहा है। सभी जगह भामाशाहों को प्रेरित कर आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। पिण्डवाडा- ग्रामीण/शहरी विकास विभाग द्वारा शहरों व गांवों में सार्वजनिक स्थलों पर पेयजल व्यवस्था, छाया, पक्षियों के लिये पानी, पशुओं के लिये पशु खेती, जलकुंड की स्थापना व हीटवेव से बचाव हेतु किये जाने वाले उपायों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आबूरोड/आबूपूर्वत- प्रत्येक पंचायत स्तर पर पेयजल की व्यवस्था की गई एवं आमजन में लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। शिवगंज- उपखण्ड क्षेत्र शिवगंज में सार्वजनिक स्थलों पर पेयजल व्यवस्था, छाया, पक्षियों के लिये पानी, पशुओं के लिये पशु खेती, जलकुंड के संबंध में उपायों का प्रचार प्रसार किया जा चुका है। तहसीलदार सिरौही- सार्वजनिक स्थलों पर छाया, पानी एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करने हेतु ग्राम सचिवों को निर्देशित किया गया है। तहसीलदार पिण्डवाडा- विकास अधिकारी को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी कर सार्वजनिक स्थलों पर पेयजल व्यवस्था, छाया, पक्षियों के लिए पशु खेती, जलकुंड की स्थापना व हीटवेव से बचाव हेतु किये जाने वाले उपायों का प्रचार प्रसार हेतु अपने सभी अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारीयों/को पाबन्द कर आवश्यक व्यवस्था करने हेतु पाबन्द किया गया है। तहसीलदार शिवगंज- उपखण्ड क्षेत्र शिवगंज में पेयजल आपूर्ति सुचारु रूप से की जा रही है।
--	--

		तहसीलदार देलदर— प्रत्येक पंचायत स्तर पर पेयजल की व्यवस्था की गई एवं आमजन में लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तहसीलदार रेवदर— सार्वजनिक स्थलों पर पेयजल व्यवस्था/छाया, पक्षियों के लिए पानी, पशुओं के पशुखेती जलकुण्ड की स्थापना व हीटवेव से बचाव हेतु किए जाने वाले उपायों का प्रसार-प्रचार किया जा रहा है। तहसीलदार आबूरोड— प्रत्येक पंचायत स्तर पर पेयजल की व्यवस्था की गई एवं आमजन में लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सिरोही— हीटवेव संबंधी आवश्यक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। रेवदर— सभी बस स्टेशनों पर आवश्यक रूप से पीएचडी विभाग द्वारा टंकियों व कैपों द्वारा पानी की व्यवस्था की जा रही है। पिण्डवाडा—सार्वजनिक स्थलों यथा बस स्टैण्ड/रेल्वे स्टेशन/होस्पिटल पर वाटर केम्पर/मटके रखवा दिये गये हैं। आबूरोड/आबूपर्वत—हीटवेव संबंधी आवश्यक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। शिवगंज— पालना की जा चुकी है। तहसीलदार सिरोही— सार्वजनिक स्थलों पर छाया, पानी एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करने हेतु ग्राम सचियों को निर्देशित किया गया है। तहसीलदार पिण्डवाडा— तहसीलदार द्वारा इस संबंध में लगातार फील्ड विजिट कर हीटवेव एडवाइजरी का प्रसार किया जा रहा है। तहसीलदार शिवगंज— पालना की जा रही है। तहसीलदार देलदर— हीटवेव संबंधी आवश्यक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तहसीलदार रेवदर— सभी बस स्टेशनों पर पानी, छाया व्यवस्था एवं हीटवेव एडवाइजरी का प्रसार किया जा रहा है। तहसीलदार आबूरोड— हीटवेव संबंधी आवश्यक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सिरोही—गौशाला का निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्था छाया, पानी आदि सुनिश्चित की गई। रेवदर— सभी गौशालाओं में पानी/चारा/छाया हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित है। व समय समय पर निरीक्षण किया जाकर आवश्यक निर्देशित दिये जा रहे हैं। पिण्डवाडा— गौशालाओं में पशुओं हेतु पिये के पानी की समुचित व्यवस्था व पक्षियों के लिए परिडे लगावा दिये गये हैं। आबूरोड/आबूपर्वत— गौशाला का निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्था छाया, पानी आदि सुनिश्चित की गई। उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा अवगत कराया गया है कि अधिनस्थ अधिकारियों को गौशाला का निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्था छाया पानी आदि सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये। शिवगंज— पालना की जा चुकी है। तहसीलदार सिरोही— पशुधन को लू से बचाव हेतु पशु चिकित्सकों को निर्देशित किया गया है। तहसीलदार पिण्डवाडा— तहसीलदार द्वारा इस संबंध में लगातार फील्ड विजिट कर गौशालाओं में निरीक्षण कर पशुओं हेतु चारा/छाया / पानी/दवाईयां की आवश्यक व्यवस्था एवं समाजसेवीयों से संपर्क कर आवश्यक जगह पक्षियों हेतु परिडे लागाये जा रहे हैं। तहसीलदार शिवगंज— पालना की जा रही है। तहसीलदार देलदर— गौशाला का निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्था छाया, पानी आदि सुनिश्चित की गई। तहसीलदार रेवदर— गौशालाओं का निरीक्षण कर गौशाला संचालकों को चारा/छाया/ दवाईयो की व्यवस्था करना एवं पक्षियों हेतु परिडे लगाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु पाबंद किया गया। तहसीलदार आबूरोड— गौशाला का निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्था छाया, पानी आदि सुनिश्चित की गई।
05	अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिरोही	हीटवेव के चलते सा.नि.वि. के अधीन वर्तमान में प्रगति कार्यों की साईटो पर छाया, शीतल जल व अन्य पेय पदार्थ एवं दवाईयों की व्यवस्था संवेदकों के स्तर पर की जा रही है। विभाग द्वारा कार्यस्थल पर उपरोक्त व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु फिल्ड स्टाफ एवं 22 संवेदक को पाबंद कर दिया गया है।
06	अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सिरोही	गर्मी की मौसम में सभी जल स्रोत नलकूप एवं हैण्डपम्प से पेयजल सप्लाई सुचारु रूप से हो रही है व बन्द होने की शिकायत पर तुरन्त रिपेयर्स कर चालू करवाया जा रहा है। जल भंडारण और पशुओं के पीने के लिए गावों एवं ढाणियों में भूतल जलाशय एवं अवाडा में पानी सप्लाई की जा रही है। विभाग द्वारा सभी कार्यालय एवं पम्प हाउस में पक्षियों के लिये पेडों पर पानी के परिण्डे लटकाये गये हैं। सभी निर्माणाधीन कार्यों पर काम करने वाले श्रमिकों/कर्मचारियों की संवेदकों को संवेदकों द्वारा पानी एवं छाया के लिये पाबंद किया गया है तथा श्रमिकों को मेडिकल की व्यवस्था भी कार्यस्थल में रखने के निर्देश दिये गये हैं। श्रमिकों हेतु सभी निर्माणाधीन कार्यों पर संवेदकों एवं ब्लॉक स्तर पर ओ.आर.एस. एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है। हैण्डपम्पों के लिये खण्ड स्तर पर मोनिटरिंग कर मरम्मत किये जा रहे हैं।

		शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था की जा रही है। किसी गांव / शहर में पेयजल समस्याग्रस्त क्षेत्र में टैंकों से व्यवस्था के निर्देश खण्ड कार्यालय को दिये गये हैं। नये नलकूप एवं हैण्डपम्प के कार्य भी स्वीकृत करवाये गये हैं, जिन्हें 15 मई तक पूर्ण कर लिये जायेंगे। विभाग द्वारा सभी कुओं एवं बोरवेल से पानी की सफ़ाई करने हेतु खण्ड एवं ब्लॉक स्तर पर निर्देश दिये गये हैं।
07	अधीक्षण अभियन्ता, जोधपुर विधुत वितरण निगम लि० सिराही	पेयजल व्यवस्था के लिए सभी सहायक अभियन्ताओं को विद्युत आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिये गये हैं जिससे पेयजल व्यवस्था बाधित न हो। सभी सहायक अभियन्ताओं को निर्देश दिये हैं कि निर्माणाधीन कार्यों पर काम करने वाले श्रमिकों / स्टॉफ को गर्मी के मौसम में किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाये। श्रमिकों एवं कार्यरत स्टॉफ हेतु पानी एवं दवाईया उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दे दिये गये हैं।
08	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिराही	सभी चिकित्सा संस्थानों पर एब एन प्लान के तहत हीट वेव से मरीज को बचाने के लिए समस्त व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है। सभी चिकित्सा संस्थानों पर पानी, बिजली, कुलर, पंखे/एसी आवश्यकतानुसार उपलब्ध है तथा जिला अस्पताल में 20, सामुदायिक स्वा. केन्द्र में 10 एवं प्रत्येक प्रा.स्वा.केन्द्र पर 2-2 बेड आरक्षित रखे गये हैं। पृथक आरक्षित किये गये वार्ड में उपरोक्त व्यवस्था उपलब्ध है। इन्वर्टर/जनरेटर की व्यवस्था उपलब्ध है। समस्त चिकित्सा संस्थानों पर पर्याप्त मात्रा में दवाईया उपलब्ध है।
09	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, सिराही	जिले के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था हेतु समस्त सीबीईओ/पीईईओ को निर्देश प्रदान किये गये हैं। समस्त सीबीईओ/पीईईओ को अपने-अपने क्षेत्राधिकार के नजदीक चिकित्सालय से परस्पर समन्वय स्थापित कर आवश्यक दवाईयों, मेडिकल किट, प्राप्त करने हेतु निर्देश प्रदान किये गये। विद्यालयों में छात्रों को धूप में नहीं बिठाने एवं छात्रों को छाया में बैठने की व्यवस्था हेतु समस्त सीबीईओ/पीईईओ को निर्देशित किया गया। जिले में अत्यधिक हीटवेव होने पर समस्त सीबीईओ/पीईईओ को निर्देशित किया गया है कि स्कूल के समय परिवर्तित संबंधी अनुमति हेतु सीबीओके माध्यम से जिला कलक्टर, सिराही को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।
10	संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, सिराही	इस कार्यालय के पत्रांक 5830 दिनांक 08.04. 2025 के द्वारा समस्त गौशालाओं को पशुओं को ग्रीष्म ऋतु में जल आपूर्ति एवं हीट-वेव से बचाव हेतु गोपालन विभाग द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश (एडवाईजरी) की बिन्दु वार पालना करने हेतु निर्देशित किया गया है। समस्त संस्था प्रभारियों को विभाग द्वारा जारी की गई दिशा निर्देश (एडवाईजरी) की पालना करने हेतु निर्देशित किया गया है। समस्त संस्था प्रभारियों को विभाग द्वारा जारी की गई दिशा निर्देश (एडवाईजरी) की पालना करने हेतु निर्देशित किया गया है। प्रेस नोट जारी कर दिया गया है। गौशाला में पानी की पर्याप्त सुविधा (स्वयं का ट्यूबवेल) की व्यवस्था है। आपातकालीन बजट से आवश्यक औषधियां कय करने की मांग निदेशालय भिजवा दी गई है। पशुओं को ग्रीष्म ऋतु में जल आपूर्ति एवं हीट-वेव से बचाव हेतु आवश्यक औषधियों की आपूर्ति समस्त संस्थाओं को करवा दी गई है।
11	कृषि विभाग	विभाग द्वार परिसर में परिंडे लगवाये जा रहे हैं। किसानों के लिये कार्यालय में अतिरिक्त पानी के केम्पर की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है। फिल्ड कार्मिकों को पीछे लगाने हेतु निर्देश दिये गये एवं फिल्ड भ्रमण के दौरान सिर पर कपडा रखने की सलाह दी गई है। फिल्ड कार्मिकों द्वारा इस हेतु किसानों को सुझाव दिये जा रहे हैं। इस हेतु फिल्ड कार्मिकों द्वारा किसानों को सुझाव दिये जा रहे हैं। इस हेतु फिल्ड कार्मिकों द्वारा किसानों को सुझाव दिये जा रहे हैं। आवश्यक दवाईया एवं मेडिकल किट की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है।

12	श्रम विभाग	जिले में आघात/अन्य संस्थानों/निर्माण कार्यस्थलों पर कार्यरत श्रमिकों को बिमारी, लू-तापघात से बचाव का कारगर प्रबन्ध करवाये जाने के लिये नियोजक को पाबंद करने हेतु निर्देश दिये गये तथा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने एवं किसी हालत में पानी की गुणवत्ता से समझोता नहीं किये जाने हेतु पाबंद किया गया। माह मई-जून में दोपहर 12.00 बजे से 3.00 बजे तक लू-ताप का प्रभाव सर्वाधिक होने से श्रमिकों के कार्य समय को पुनः निर्धारित कर लू-ताप से बचाव हेतु निर्देशित किया गया। इस सम्बन्ध में कार्यालय श्रम कल्याण अधिकारी सिरौही द्वारा दिनांक 15.04.2025 को प्रेस विज्ञापित जारी की गई। इस प्रेस विज्ञापित के आधार पर समाचार पत्रों में हीटवेव के बारे में खबर का प्रकाशन दिनांक 16.04.2025 को हुआ। स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने एवं किसी हालत में पानी की गुणवत्ता से समझोता नहीं किये जाने हेतु पाबंद किया गया तथा केन्टिन, रेस्टरूम, पीने का पानी, लेट्रीन, यूरिनल एवं प्राथमिक चिकित्सा की सुविधाएँ नियोजक एवं ठेकेदारों द्वारा उपलब्ध कराये जाने हेतु पाबंद किया गया। गर्मी के समय में मीके पर आवश्यक दवाईयों एवं आवश्यकता पडने पर तुरन्त उपलब्ध होने वाले नर्स एवं कम्पाउण्डर की व्यवस्था हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर श्रमिकों का हेल्थ चेक-अप करवाये जाने हेतु निर्देश दिये गये।
13	निरीक्षक, कारखाना एण्ड बोयलर्स सिरौही	ग्रीष्म ऋतु के दौरान ऐसे श्रमिक, जो सीधे सूरज की तेज धूप में काम करते हैं, उनके लिये छाया की व्यवस्था कर दी गई है। कार्य स्थलों में समुचित स्थानों पर पीने के पानी की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। ग्रीष्म ऋतु के दौरान बचाव हेतु श्रमिकों के लिये आपातकालीन आइस-पैक और गर्मी की रोकथाम सामग्री उपलब्ध करा दी गई है। ग्रीष्म ऋतु के दौरान श्रमिकों के स्वास्थ्य की जांच सुनिश्चित करा दी गई है। कार्य स्थल पर पर्याप्त वेंटिलेशन की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। श्रमिकों को अत्यधिक गर्मी एवं आर्द्रता से होने वाले खतरों और उपचारात्मक उपायों से अवगत कराना सुनिश्चित करा दिया गया है।
14	आयुक्त/अधिशायी अधिकारी,नगर पालिका पालिका	शिवगंज:- जिला प्रशासन/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से समन्वय स्थापित कर गर्मियों के मौसम में ताप घात (हीट वेव) से आमजन एवं पशु पक्षियों के बचाव हेतु पेयजल व्यवस्था को सुचारु रखने हेतु आमजन की सहायता हेतु पालिका कार्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दिया गया है जिसके दूरभाष नंबर का प्रकाशन कर दिया गया है साथ ही दूरभाष पर प्राप्त होने वाली सूचना को रजिस्टर में इन्द्राज कर सूचना को निस्तारण हेतु संबंधित को सूचना प्रेषित की जाती है। नगर परिषद सिरौही- आमजन एवं पशु पक्षियों के तापघात से बचाव हेतु पेयजल व्यवस्था को सुचारु न रखने हेतु नगर परिषद कार्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। जिसका दूरभाष नंबर 02972-222123 है। पिण्डवाडा- पालिका द्वारा मौसम में ताप घात (हीट वेव) से आमजन एवं पशु पक्षियों के बचाव हेतु पेयजल व्यवस्था को सुचारु रखने हेतु व्यवस्था कर दी गई एवं आमजन की सहायता हेतु नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दिया गया है। आबूरोड- हिट वेव 2025 के मध्यनजर नगरपालिका आबूरोड के कर्मचारियों एवं आमजन हेतु कार्यालय में ठण्ड पेय एवं छाया हेतु टेन्ट की व्यवस्था करवाई जा रही है। आनूपर्वत- आपदा कक्ष कंट्रोल रूम मोबाइल नंबर 8306091122 शिवगंज- नगर पालिका क्षेत्र में आम चौराहों व मुख्य बाजार में आमजन के पेयजल हेतु भामाशाह द्वारा पानी के कैम्पर/मटको की व्यवस्था वर्तमान में सुचारु है। नगर परिषद सिरौही- नगर परिषद क्षेत्र में चौराहों पर आमजन के लिये पेयजल हेतु पानी कैम्पर/मटको की व्यवस्था की गयी है। पिण्डवाडा- पालिका द्वारा पालिका क्षेत्र में चौराहों पर आमजन के लिये पेयजल हेतु पानी कैम्पर/मटको की व्यवस्था कर दी गयी है। आबूरोड- हिट वेव 2025 के मध्यनजर नगरपालिका आबूरोड द्वारा बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आकरामहा, आबूरोड परिसर में यात्रियों एवं आमजन हेतु पेय जल (छाछ, पानी व ज्यूस) एवं छाया हेतु टेन्ट की व्यवस्था हेतु संवेदक को कार्यदिश जारी किया जा चुका है। आनूपर्वत- कार्यालय द्वारा पालिका क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर प्याऊ व वॉटर एटीएम लगवाये गये हैं। शिवगंज- नगर पालिका द्वारा नरगा कर्मिकों के बैठने हेतु राहत स्थल पूर्व में स्थापित है साथ ही पेयजल हेतु पानी के कैम्पर की व्यवस्था पालिका द्वारा कर दी गई है। नगर परिषद सिरौही- नगर परिषद द्वारा आमजन को लू तापघात से बचाव हेतु बस स्टैण्ड पर टेन्ट लगाकर लोगों के बैठने हेतु कुलर, कुर्सीया लगाई गयी है। और पेयजल हेतु कैम्पर की व्यवस्था की गयी है। पिण्डवाडा- पालिका द्वारा टेन्ट लगा दिया गया है एवं भामाशाह द्वारा पेयजल की व्यवस्था की गयी है साथ ही बैठने की समुचित व्यवस्था कर दी गयी है।

आबूरोड- हिट वेव 2025 के मध्यनजर रखते हुए मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत लगे श्रमिकों को छाया में ही कार्य करवाया जा रहा है।
आबूपर्वत- वर्तमान में गेस्ट हाउस में रेनबसेरा संचालित है।

शिवगंज:- नगर पालिका क्षेत्र में भामाशाहो व पालिका के सहयोग से पालिका स्तर पर उद्यानो एवं उपयुक्त स्थानो पर आवश्यकतानुसार पक्षियों के पानी पीने हेतु परिण्डे लगाया जाना प्रस्तावित है जो शीघ्र ही लगवा दिये जायेंगे।

नगर परिषद सिरौही- नगर परिषद सिरौही स्तर पर उद्यानों एवं उपयुक्त स्थानों पर आवश्यकता अनुसार पक्षियों के पानी पीने हेतु परिण्डे लगाये गये हैं।

पिण्डवाडा- पालिका द्वारा अपने स्तर एवं भामाशाहो के सहयोग से उद्यानो एवं उपयुक्त स्थानो पर आवश्यकता अनुसार पक्षियों के पानी पीने हेतु परिण्डे लगा दिये गये हैं।

आबूरोड- हिट वेव 2025 के मध्यनजर पशु पक्षियों हेतु शहर में विभिन्न स्थानों एवं उद्यानों में पीने के पानी हेतु परिण्डे लगाये जावेगा।

आबूपर्वत- स्थानीय क्षेत्र में पक्षियों के पानी के लिए आवश्यकता अनुसार परिण्डे लगाये जा रहे हैं।

शिवगंज:- नगर पालिका क्षेत्र में पालिका द्वारा गौशालाओं का समय-समय पर निरीक्षण करना व चारे-पानी एवं दवाई की व्यवस्था संबंधित कार्य वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

नगर परिषद सिरौही- गौशालाओं का समय-समय पर निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान चारे पानी एवं दवाईयों की व्यवस्था निरन्तर देखी जा रही है।

पिण्डवाडा- नगर पालिका क्षेत्र में कोई भी गौशाला संचालित नहीं है, आस पास की गौशाला में चारे पानी हेतु समुचित व्यवस्था आवश्यकता होने पर कर दी जायेगी।

आबूरोड- हिट वेव 2025 के मध्यनजर पशु पक्षियों हेतु शहर में विभिन्न स्थानों एवं उद्यानों में पीने के पानी हेतु परिण्डे लगाये जावेगा।

आबूपर्वत- आवश्यकता अनुसार कार्यवाही कि जा रही है।

शिवगंज:- नगर पालिका क्षेत्र में लगे हुए पेड़-पौधों को प्रतिदिन पालिका द्वारा टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जा रही है।

नगर परिषद सिरौही- परिषद क्षेत्र में लगे हुये पेड़-पौधों को प्रतिदिन टैंकरों द्वारा पानी पिलाने की व्यवस्था की गयी है।

पिण्डवाडा- पौधों को प्रतिदिन टैंकरों द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती है।

आबूरोड- हिट वेव 2025 के मध्यनजर आवश्यकता पडने पर नगरपालिका आबूरोड द्वारा अग्निशमन वाहन एवं जेटिंग मशीन के द्वारा मुख्य बाजार में पानी का छिड़काव किया जावेगा।

आबूपर्वत- नगरपालिका क्षेत्र लगे पेड़ पौधे को टैंकरों द्वारा पानी समय-समय पानी पिलाया जाता है।

शिवगंज:- पालिका क्षेत्र में स्थित बस स्टेण्ड में छाया पानी की भामाशाहो द्वारा माकुल व्यवस्था की जा रही है।

नगर परिषद सिरौही- आमजन हेतु छाया पानी के लिये टेण्ट व कैम्परो की व्यवस्था की गयी है।

पिण्डवाडा- पालिका द्वारा बस स्टेण्ड सिगढ़ी गंड एवं पिण्डवाडा पर छाया पानी की माकुल व्यवस्था कर दी गयी है।

आबूरोड- हिट वेव 2025 के मध्यनजर नगरपालिका आबूरोड द्वारा बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आकरामहा, आबूरोड परिसर में यात्रियों एवं आमजन हेतु पेय जल (छाछ, पानी व ज्यूस) एवं छाया हेतु टेन्ट की व्यवस्था हेतु संवेदक को कार्यदिश जारी किया जा चुका है।

आबूपर्वत- बस स्टेण्ड पक्का भवन निर्मित होने से बस स्टेण्ड पर यात्रियों के लिए छाया की व्यवस्था बनी रहती है।

शिवगंज:- नगर पालिका क्षेत्र भीषण गर्मी में को मध्यनजर रखते हुए पालिका द्वारा पानी टैंकरों व अन्य मशीनरी द्वारा शहर की मुख्य सड़कों पर पानी का छिड़काव समय-समय पर किया जाता है।

नगर परिषद सिरौही- पानी टैंकरों व अन्य मशीनरी द्वारा शहर की मुख्य सड़कों पर पानी का नियमित छिड़काव करने की व्यवस्था की गयी है।

पिण्डवाडा- पालिका द्वारा नगर पालिका क्षेत्र में भीषण गर्मी को देखते हुये पानी टैंकरों द्वारा मुख्य सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है।

आबूरोड- हिट वेव 2025 के मध्यनजर आवश्यकता पडने पर नगरपालिका आबूरोड द्वारा अग्निशमन वाहन एवं जेटिंग मशीन के द्वारा मुख्य बाजार में पानी का छिड़काव किया जावेगा।

आबूपर्वत- आयुपर्वत क्षेत्र पर पर्यटन क्षेत्र में गर्मी कम रहने के कारण टैंकरों कि आवश्यकता कम रहती है।

शिवगंज:- नगर पालिका द्वारा कार्यरत श्रमिकों, सफाई कार्मिकों एवं रैन बसेरो में ओ.आर.एस. एवं फर्स्ट एड किट वितरण हेतु उक्त सागरी क्रय की जा रही है।

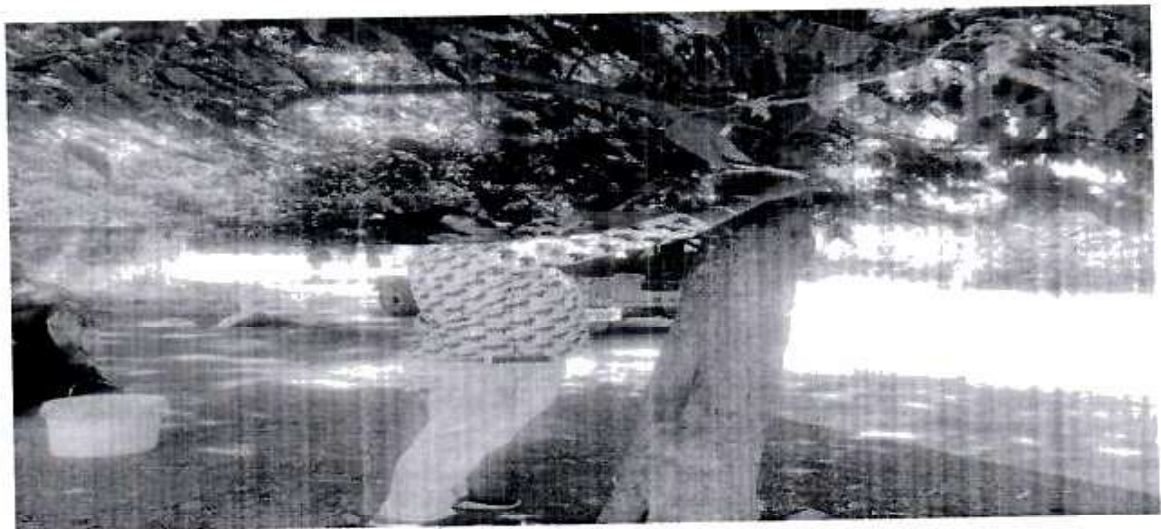
नगर परिषद सिरौही- मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना के तहत कार्य कर रहे श्रमिकों एवं परिषद सफाई कार्मिकों एवं रैन बसेरो में ठहरे लोगो हेतु ओ.आर.एस. एवं फर्स्ट एड किट की व्यवस्था की गयी है।

पिण्डवाडा- पालिका द्वारा कार्यरत श्रमिकों, परिषद सफाई कार्मिकों एवं रैन बसेरो में ओ.आर. एस. एवं फर्स्ट एड किट उपलब्ध करवा दिया गया है।

आबूरोड- हिट वेव 2025 के मध्यनजर रखते हुए मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत लगे श्रमिकों हेतु पेय जल एवं मेडिकल किट उपलब्ध करवाया जाता है।

आबूपर्वत- आयुपर्वत क्षेत्र पर पर्यटन क्षेत्र में गर्मी कम रहने के कारण टैंकरों कि आवश्यकता कम रहती है।

		है। शिबगंज:- नगर पालिका द्वारा पालिका क्षेत्र में रैन बसेरा की व्यवस्था पूर्व में कर दी गयी है जो वर्तमान में 24x7 संचालित है। नगर परिषद सिरौही:- नगर परिषद द्वारा रैन बसेरों में पानी कैम्पर व फर्स्ट एड बॉक्स एवं ओ.आर.एस. की व्यवस्था की गयी है। पिण्डवाड़ा:- पालिका द्वारा संचालित रैन बसेरा में पखे, कुलर एवं पेयजल एवं ठहरने की समुचित व्यवस्था की गई है। आबूरोड:- हिट वेव 2025 के मध्यनजर नगरपालिका आबूरोड के कर्मचारियों एवं आमजन हेतु कार्यालय में ठण्डे पेय एवं छाया हेतु टेन्ट की व्यवस्था करवाई जा रही है। आबूपर्वत:- आयुर्वर्त क्षेत्र पर पर्यटन क्षेत्र में गर्मी कम रहने के कारण टेकरों कि आवश्यकता कम रहती है।
15	उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, सिरौही	उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग सिरौही के पत्रांक: राजकाज नम्बर 14872637 दिनांक 22.04.2025 अनुसार उनके कार्यालय के पत्रांक: 14871466 द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों के बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देशित कर वर्तमान में चल रही हीटवेव के बचाव एवं रोकथाम हेतु जिले में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों पर ठण्डे पेयजल, ओ.आर.एस. की व्यवस्था करने के साथ ही पक्षियों हेतु परिन्डे एवं चुग्गा पात्र लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई।
16	संयुक्त निदेशक, समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सिरौही	कुलरो की व्यवस्था की गई है। पेयजल की व्यवस्था की गई है। जिनका उपयोग आगन्तुकों एवं विभागीय कार्मिकों के लिये पर्याप्त है एवं हीट वेव से बचाव लिये जारी दिशा निर्देशों की पालना की जा रही है। सभी अधीनस्थ कार्यालय/ छात्रावासों में परिडे लगाकर पानी भरा जा रहा है। कार्यालय के आगे हेण्ड पम्प की सुविधा है जिसके आगे छोटा आवाड़ा बना हुआ है जिसे पानी से भरा जा रहा है। पूर्व की भाती इस वर्ष भी वृक्षारोपण करवाया जायेगा। कार्यालय में हीटवेव तथा सभी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। छात्रावासों में छात्र/छात्राओं को हीटवेव से बचने की व्यवस्था है एवं बिजली/पानी की व्यवस्था है। दवाईया पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
17	रसद विभाग	जिले के समाज सेवी एवं समाज सेवी संस्थान आदि से सम्पर्क किया गया उनके द्वारा Heat Wave की स्थिति होने पर सार्वजनिक स्थल पर पानी के कैम्पर रखवाने एवं छाछ वितरण Kiosks लगाने का आश्वासन प्रदान किया गया है। Heat Wave की स्थिति होने पर नियमानुसार उक्तानुसार कार्यवाही की जायेगी।
18	जल संसाधन खण्ड सिरौही	समस्त कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों एवं संवेदकों के लिये कार्य स्थल पर छाया शीतल जल व अन्य पेय पदार्थ पर्याप्त मात्रा में रखवा दिये गये है।
19	जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, सिरौही	कार्यालय द्वारा जिले के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से प्रेस विज्ञापित जारी की गई एवं की जा रही है साथ ही मौसम विभाग की सूचनाओं को भी मिडिया में प्रसारित नियमित रूप से किया जा रहा है।



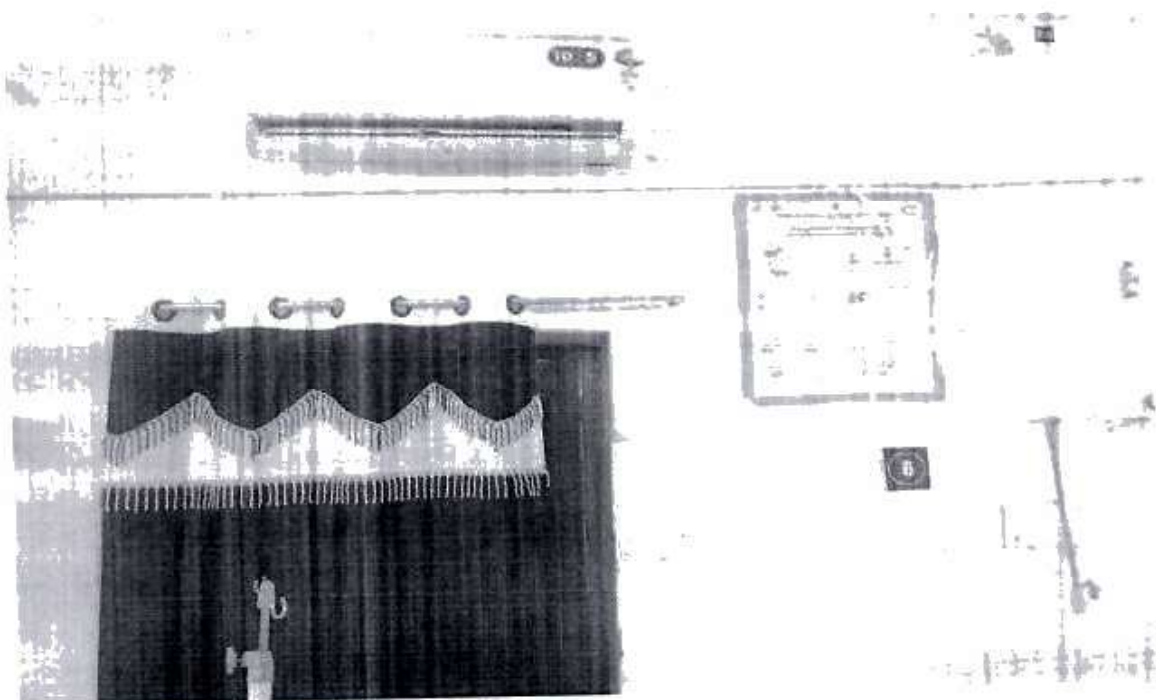


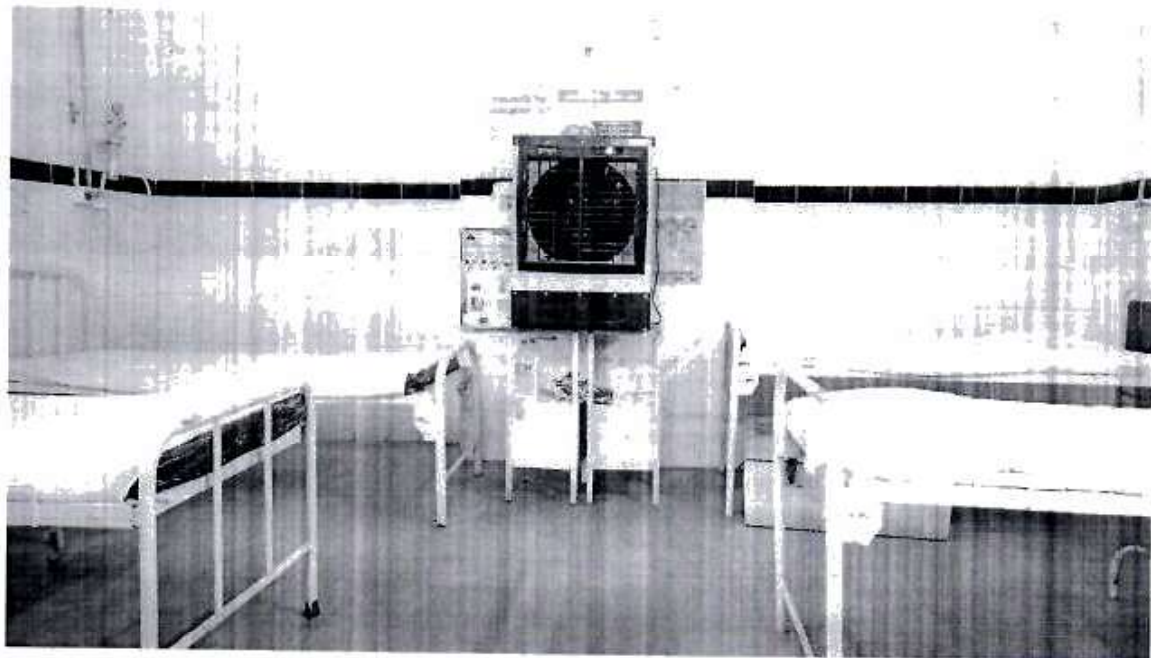


हीटवेव व भीषण गर्मी से राहत के लिए नगर पालिका ने लगवाए परिंडे व मटके



नवज्योति/पिण्डवाड़ा। हीटवेव व भीषण गर्मी के चलते नगर पालिका पिण्डवाड़ा द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर लोगों के लिए पीने के लिए ठंडे पानी के मटके व पक्षियों के लिए परिंडे की व्यवस्था की गई। नगर पालिका पिण्डवाड़ा में अधिशासी अधिकारी महेंद्र कुमार राजपुरोहित के आदेशानुसार शहर के विभिन्न जगहों पर पालिका कर्मचारियों द्वारा लोगों के लिए पीने के लिए ठंडे पानी के मटके व पक्षियों के लिए परिंडे लगाकर पानी की व्यवस्था की गई। इस दौरान कनिष्ठ सहायक करण सिंह चारण, स्वास्थ्य निरीक्षक कमलेश भाटी, स्वच्छ भारत मिशन से एमआईएस विक्रम कुमार, कनिष्ठ तकनीकी सहायक धर्मपाल खेनी, शहरी रोजगार सहायक भरत कुमार व आदि उपस्थित थे।







स्वास्थ्य केंद्रों में आग की आपात स्थिति के दौरान क्या करें और क्या नहीं करें



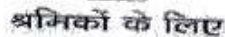
1. शांत रहें: घबराहट से दिव्यता और कराराय हो सधसती है। जितना हो सके शांत रहें।
2. दूसरी को सघेत करे: पहले भागकर घिल्लाएँ या अलार्म बजाएँ ताकि परिदार में सभी लोग सघेत हो जाएँ।
3. मदद के लिए सौत लहें: आग की सूचना तुरत देने के लिए आपातकालीन नंबर (112) टायल करे।
4. अभिशासक लुच हल उपनयन सरे: यदि परिशित है और ऐसा करना सुरशित है, तो आग की नियमित करने के लिए अभिशासक पत्र का उपयोग करे।
5. दरवाजे सघ करे: शेर से बाहर निकलने सनय, धुएँ और आग को फैलने से रोकने के लिए सभी दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर दे।
6. धुएँ से सनय के लिए नीचे रहे: हमेशा धुएँ से बघने के लिए नीचे लेट कर सले, क्योंकि ताजी हवा जमीन के करीब होती है।
7. साफ और सूँठ को ढँके: सास के माध्यम से धुएँ को अंदर लेने से बघने के लिए अपने सूँठ को ढँकने की कोशिश करे, हो सके तो घाबी से नीले रंगाल माक तथा मुँह को ढक ले।
8. सूखे सपलाई बंद करे: स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में शिखत अचकशीजल प्लाट के बाल्व को बंद करे तथा खिजली की सपलाई को भी बंद करे।
9. परिशित ताकि के ब्रह्म शरीरसगी रने बाहर निकालने लगे नदुख करे: निकारी प्रकिया के लिए परिशित कर्मचारियों की रोगी को सुरशित शेर में निकारी का नेतुच करना चाहिए।
10. तुरत निकारी करे: निकटतम उपलब्ध निकार मार्ग का उपयोग करे।
11. लिफ्ट का उपयोग सही करे: सीढ़ियाँ का उपयोग कर सीढ़ियों/लिफ्ट का उपयोग करे, आग लगने की स्थिति में लिफ्ट का उपयोग न करे।
12. मदद के लिए घिल्लाएँ: यदि आप कमरे में फस गए हैं, तो बचाव दल को साथ-साथ अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए खिड़की से घिल्लाएँ।

1. अलार्मसक लुच से घबराएँ या घिल्लाएँ नही घबराएँ नही, इरते अल हो सकता है और निकारी में देरी हो सकती है। शांत रहे।
2. घिल्लाएँ या लेल की अलार्म पर घाबी का उपयोग न करे: इससे खिजली का झटका लग सकता है या आग फैल सक्ती है।
3. अलार्म के अलार्म को लज्जर/व्युक्त न करे: हर अलार्म को वास्तविक माने और तुरत निकारी करे।
4. इलुवत में दोबारा घनेश न करे: एक बार बाहर निकलने के बाद, बाहर ही रहे। किसी भी कारण से जलती हुई इमारत/कमरे में कभी वापस न जाएँ।
5. आग और धुएँ की लीव करने के लिए दरवाजे न खोलें: आग और धुएँ की लीव करने के लिए दरवाजे न खोलें क्योंकि बघ होने पर वे आग और धुएँ को फैलाव को सीमित करते हैं।
6. लगे दरवाजे न खोलें: अपने हाथ से से दरवाजे की लीव करे। अगर वे गर्म हैं, तो उन्हें न खोलें।
7. आग से बाहर निकलने ल रास्ते ल ताकी सीढ़ियों, गलियारों और ल घयी में अवधारवा न करे क्योंकि वे आपके भागने के रास्ते हैं।
8. निकारी से देरी न करे: आग की आपात स्थिति में हर सेकंड मायने रखता है।
9. न सने घड़ी गान ल लकून की कोशिश न करे: अगर आग नियंत्रण से बाहर हो जाए, तो बाहर निकले और आग बघावत को इसे सभालने दें।
10. लालाक दुल्ला करने में समत बचाव न करे, लीवत, सगीत से अधिक सतवपूर्ण है।

उपखण्ड प्रशासन सिरौही

[illegible]

- [illegible]



- [illegible]



उपखण्ड प्रशासन सिरौही

लू तापघात की स्थिति में आमजन के लिए क्या करें और क्या नहीं करें

हाइड्रेटेड रहें -



अटल रिहाइडेशन
सॉल्यूशन (ओआरएस) का
उपयोग करें, और कीचू,
पासी, छाछ/लटसी, भज्ज
मिलाए गए पानी को रस
जैसे घर के बने पेय पदार्थों
का सेवन करें।



तरबूज, खरबूज, संतरा,
अमुर, अमरनास, दहीरा,
सलाद या अन्य स्थानीय रूप
से उपलब्ध फल जैसे उष्ण
जल सामग्री वाले मौसमी
फल व सब्जियाँ खाएँ।



जब भी संभव हो, पर्याप्त
पानी पीएँ, भले ही आपको
प्यास न लगी हो। प्यास
निर्जलीकरण का अच्छा
संकेत नहीं है।



साया करते समय पीने का
पानी साफ रखें।

शरीर को ठंडा कर रखें-

- छाया, झंझरे हवा के पानी पीने, खुली कपड़े पहनें।
- अपने शरीर को ठंडे, ठोके गुन में डिकालने पर ध्यान, टोपी, सॉलिंग और अन्य
पर्याप्त शरीर को ठंडा करने वाले उपकरणों का उपयोग करें।
- गुन में बाहर जाने समय गुन का उपयोग करें।

सतर्क रहें-

स्थानीय मौसम की खबरों के लिए रेडियो सुनें, टीवी देखें और
अवधार पढ़ें और उसके अनुसार काम करें।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की वेबसाइट पर मौसम का
तज़ा अपडेट की जानकारी लेते रहें। www.imd.gov.in

जितना संभव हो सके घर के अंदर/छाया में रहें-

- ☐ हवादार और ठंडी जगहों पर रहें।
- ☐ सीधी धूप और गर्म की हवा को रोकें।
- ☐ दिन के दौरान छिड़कियाँ और धूप बंद रखें,
कमाल तीव्र पर अपने घर के धूप बंद कर दें
में। वही हवा अंदर आने के लिए रात में
उन्हें खोलें।
- ☐ अगर बाहर जा रहे हैं, तो अपनी बाहरी
भित्तियों को दिन के बड़े समय पानी
सुबह और शाम तक सीमित रखें।
- ☐ दिन के बड़े हिस्से के दौरान बाहरी
भित्तियों को फिद से रोझुन करें या
रोझना बनाएँ।

अतिजोखिम आबादी के लिए-

इसलिए कोई भी व्यक्ति कभी भी गर्म के तबब और गर्मी से संबंधित बीमारियों से पीड़ित हो
सकता है, लेकिन कुछ लोगों को दुखों की तुलना में ज्यादा जोखिम होता है और उन्हें
अतिरिक्त ध्यान दिया जाना चाहिए-

- ☐ शिशु-छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाएँ
- ☐ बुजुर्ग (60+ वर्ष के बुजुर्ग), वरिष्ठ
- ☐ मानसिक या शारीरिक रूप से बीमार, खास तौर पर बुढ़ाप रोग या उच्च रक्तचाप से
पीड़ित।
- ☐ किसान, अंग्रेज श्रमिक घर काम करने वाले कृषिक, खुली घर केवल पुनितकर्म, काम
तौर पर वातावरण नियंत्रण और बाहरी श्रमिक में, पर्यटक बाह्य।
- ☐ ठंडी जलवायु से गर्म जलवायु में जाने वाले यात्रियों को अपने शरीर को गर्मी के अनुकूल
होने के लिए एक सप्ताह का समय देना चाहिए, अधिक परिक्रम से बचना चाहिए और
सूख पानी पीना चाहिए। गर्म बाह्यकरण में सीधे-सीधे शरीर/शारीरिक गतिविधि में वृद्धि
(30-15 दिनों से अधिक) करके अनुकूलन प्राप्त किया जाता है।

अन्य सावधानियाँ-

- ☐ अकेले रहने वाले बुजुर्ग या बीमार
लोगों के स्वास्थ्य की दैनिक
आगरा पर निगरानी की जानी
चाहिए।
- ☐ घर को ठंडा रखें, धूप, शटर या
समरोंद का उपयोग करें और रात
में छिड़कियाँ खोलें।
- ☐ दिन के समय निचली भित्तियों पर
रहने की कोशिश करें।
- ☐ शरीर को ठंडा रखने के लिए पानी
रूप की बाउरी नम कपड़े, गर्म के
लेजिये का इस्तेमाल करें।
- ☐ मासु से ऊपर 20 डिग्री सेल्सियस
क पानी में पैर डुबाने से
निर्जलीकरण और तबब संबंधी
घरेलू काम होती है और यह
लंबी से बचक प्रदान करता है।

☐ नंगे पैर बाहर न निकलें।

☐ उबड़ फोटीन वाले भोजन से बचें और बाहरी भोजन न खाएँ।

☐ दोपहर में बाहर निकलने पर छाया में रुकना करने वाली गतिविधियों से बचें।

☐ गुन में बाहर निकलने से बचें, सौराकर दोपहर 12.00 बजे से 03.00 बजे तक सीत।

☐ बागों या पार्क आबादी को पानी फिट रात बाह्य में न छोड़ें। बाग के अंदर का तापमान बाह्य तापमान स्थिति में हो सकता है।

☐ आवाजिक गर्मी के दौरान साया प्रकाश से बचें। साया प्रकाश के रोज में परावर्तन रूप से तबब करके के लिए दरवाजे और छिड़कियाँ खोलें।

☐ शराब, धान, कोफ़ी और कार्बोहाइड्रेट शीतल पेय का अधिक मात्रा में पीने वाले पेय से बचें- क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट में शरीर के अधिक तरल प्रवाह को रोकते हैं
या पैट में पैटन पैदा कर सकते हैं।



क्या नहीं
करें

उपखण्ड प्रशासन सिरौही

लू तापघात की स्थिति में

स्कूलों व महाविद्यालयों के लिए स्वास्थ्य सलाह

गर्मीयों के दौरान बढ़ते तापमान से गर्मी से संबंधित बीमारियाँ हो सकती हैं, जैसे कि गर्मी से थकावट, ऐंठन और हीट स्ट्रोक। स्कूलों और कॉलेजों को छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए।



स्कूल का समय बदलें

- ☐ स्कूल जल्दी शुरू करें और अत्यधिक गर्मी के घंटों (दोपहर 12 बजे से पहले) में बरतना करें।
- ☐ सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच बाहरी गतिविधियाँ (जैसे, खेल, अरोचली) से बचें।



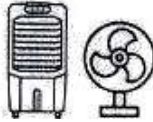
उचित जलपान करने सुनिश्चित करें

- ☐ जल तथा पेय पदार्थों की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
- ☐ स्नैक और छात्र पीने का पानी उपलब्ध कराएँ।
- ☐ छात्रों के बाहर-बादर पीने के लिए प्रोत्साहित करें।
- ☐ मीठे और कैफीन युक्त पेय पदार्थों से बचें।



कक्षा के माहौल को अनुकूल बनाएं

- ☐ कार्यशील एसी/पेस/डेजर्ट फूलर और उचित वेंटिलेशन का उपयोग करें।
- ☐ अगर एयर कंडीशनिंग उपलब्ध नहीं है तो क्रॉस-वेंटिलेशन के लिए खिड़कियाँ और दरवाजे खुले रखें।
- ☐ कक्षाओं में भीड़भाड़ से बचें।



ड्रेस कोड और सुरक्षा

- ☐ हल्के, हल्के रंग के और ढीले-ढाले सूती कपड़े पहनने को प्रोत्साहित करें।
- ☐ छात्रों को धूप में निकलने पर टोपी/कैप पहननी चाहिए और छाता साथ रखना चाहिए।



स्वास्थ्य निगरानी व प्राथमिक उपचार

- ☐ शिक्षकों और कर्मचारियों को गर्मी से संबंधित बीमारियों को पहचानने और समय रहते हस्तक्षेप करने के महत्व के बारे में परिचित किया जाना चाहिए।
- ☐ ओआरएस, ग्लूकोज व प्राथमिक उपचार किट तैयार रखें।
- ☐ यदि किसी छात्र में गर्मी से थकावट के लक्षण हो (जैसे, थकान आना, मतली, बहुत पसीना आना, सिरदर्द), तो उसे ठंडी जगह पर ले जाएँ, पानी/ ओआरएस दें और जरूरत पड़ने पर चिकित्सकीय सहायता लें।



माता-पिता के लिए सलाह-

- माता-पिता को सलाह दें कि वे घर से निकलने से पहले सुनिश्चित करें कि बच्चे अच्छी तरह से हाइड्रेटेड हैं।
- फलों और सब्जियों के साथ हल्का भोजन करने के लिए प्रोत्साहित करें।
- अगर बच्चे गर्मी के कारण अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो उन्हें स्कूल न भेजें।

सतर्क रहें -

- स्कूल में तापमान और पूर्वानुमान डिस्प्ले लगाएँ।
- स्थानीय मौसम की खबरों के लिए रेडियो सुनें, टीवी देखें और समाचार पत्र पढ़ें और उसके अनुसार कार्य करें।
- भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की वेबसाइट <https://mausam.imd.gov.in> पर मौसम का नवीनतम अपडेट प्राप्त करें।

आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना-

- त्वरित चिकित्सा सहायता के लिए आपातकालीन संपर्क नंबर व जनस्वास्थ्य केंद्रों की लिंक सेट करें।

सरकार और स्थानीय प्रशासन का सहयोग करें-

- ☐ स्कूलों या स्वास्थ्य मार्गदर्शन के लिए स्थानीय जन स्वास्थ्य केंद्रों के साथ सम्बन्ध करना चाहिए।
- ☐ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी आधिकारिक सीलबंद चेतावनियों का पालन करें।

उपखण्ड प्रशासन सिरौही

-: आम सूचना :-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा बीष्म ऋतु में हीटवेव की स्थिति के प्रभावी शमन और प्रबन्धन के लिए लू एवं ताप से बचाव के संबंध में निर्देश प्रदान किये गये हैं :-

उक्त कार्य किये जायें :-

01. पर्याप्त पानी पियें अपने आपको हाइड्रेटेड रखने के लिए ओ.आर.एस (ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन) घर के बने पेय जैसे लस्सी, नींबू का पानी, छाछ आदि का सेवन करें।
02. हल्के रंग के ढीले, सूती कपड़े पहने।
03. यदि कहीं बाहर है, तो अपना सिर ढके कपड़े, टोपी या छतरी का प्रयोग करें। आंखों की सुरक्षा के लिए धूप के चश्मे का प्रयोग करें और त्वचा की सुरक्षा के लिए सनस्क्रीन लगायें।
04. प्राथमिक चिकित्सा में प्रशिक्षण लें।
05. कार्यस्थल पर ठंडे पेयजल का प्रबंध करें।
06. सभी श्रमिकों आराम के लिए छाया, साफ पानी, छाछ, आईस पैक के साथ प्राथमिक चिकित्सा
07. किट और ओ.आर.एस (ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन) का प्रबंध रखें।
08. श्रमिकों के लिए सीधी धूप से बचने के लिए कहें।
09. श्रमिकों को लू से संबंधित चेतावनी के बारे में सूचित करें।
10. जिन श्रमिकों के लिए गर्मी वाले क्षेत्र नए हों, उन्हें हल्का काम और कम घंटों का काम दें।
11. बंद वाहन में बच्चों या पालतू जानवरों का कभी अकेला ना छोड़ें।
12. सार्वजनिक परिवहन और कार-पूलिंग का उपयोग करें। यह भ्रमण्डल लिए उष्मीकरण और गर्मी को कम करने में मदद करेगा।
13. पेड़ लगायें, सूखी पत्तियाँ, कृषि अवशेषों और कचरे को न जलायें।
14. जल स्रोतों का संरक्षण करें, वर्षा के जल को संचयित करें।
15. उर्जा-कुशल उपकरणों, स्वच्छ ईंधन और उर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करें।
16. पशुओं को छाया में रखें और उन्हें पीने के लिए पर्याप्त, स्वच्छ और ठंडा पानी दें।
17. मवेशियों को ठरी घास, पोटलीन वसा बाई-पास पूरक, खनिज मिश्रण और नमक दें, कम गर्मी वाले घंटों के दौरान उन्हें चरने दें।

उक्त कार्य नहीं किये जायें :-

01. धूप में बाहर जाने से बचें, खासकर दोपहर 12 से 03 बजे के मध्य गने पाव बाहर न जायें।
02. शराब, चाय, कॉफी और कॉन्सन्टेड शीतल पेय से बचें। ये शरीर को निर्जलित करते हैं।
03. पार्क किए गए वाहनों में बच्चों या पालतू जानवरों को न छोड़ें, वे गर्म हवा से प्रभावित हो सकते हैं।
04. ऐसे बल्बों का उपयोग करने से बचें जो अनावश्यक गर्मी उत्पन्न करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि लगातार चलते हुए कंप्यूटर या बिजली के उपकरण।

निवेदक :- कार्यालय नगरपालिका आबूरोड जिला-सिरोही